न्यायालय अपर कलक्टर,नागौर

बइजलास – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

राजस्व रेफरेन्स सं0 – 09/2024

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 मनीष गहलोत पुत्र मेघराज जाति माली, निवासी जसनगर तहसील रियाबंडी जिला नागौर। 2 रूपाराम गुर्जर पुत्र सोनराज गुर्जर जाति गुर्जर निवासी जसनगर तहसील रियाबडी जिला नागौर। 3 देवकरण पुत्र श्रवणराम जाति मेघवाल निवासी जसनगर तहसील रियाबडी जिला नागौर। 4 सबीर पुत्र बाबुदीन तेली जाति मुसलमान निवासी जसनगर तहसील रियाबडी जिला नागौर।		1 रतनलाल पुत्र भागूराम जाति माली निवासी जसनगर तहसील रियाबडी जिला नागौर। 2 तहसीलदार रियाबडी जिला नागौर।

उपस्थिति–

1– श्री डूंगरराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।

2– श्री भागीरथ चौधरी अप्रार्थी सं. 1 की ओर से।

3– श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 02 की ओर से।

आदेश

दिनांक 04.08.2025

1 प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा आवंटन समिति ग्राम सम्पर्क अभियान जसनगर दिनांक 04.01.2007 का निर्णय एवं उप तहसीलदार रियाबडी का आदेश क्रमांक/शिविर/17/08 दिनांक 04.01.2007 तथा इसकी पालना में भरा गया म्यूटेशन नम्बर 2414 तथा वर्तमान में जमाबंदी में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज खातेदारी इन्द्राज खसरा नम्बर 2865/1723 रकबा 0.0400 हैक्टयर गे.मु. बेरा की खातेदारी को निरस्त करवाए जाने को लेकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 232 एवं सपठित राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत यह रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है।

2 प्रार्थीगण का रेफरेन्स दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री भागीरथ चौधरी अधिवक्ता तथा अप्रार्थी सं. 2 की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रार्थीगण द्वारा अपने रेफरेन्स के समर्थन में ग्राम जसनगर के मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2062 से 81 की फोटोप्रति, ग्राम जसनगर के शुद्वि पत्र संख्या 83 दिनांक 30.04.24 की फोटोप्रति, ग्राम जसनगर की खतौनी बंदोबस्त सम्वत 2008 से 27 की फोटोप्रति, ग्राम जसनगर की जमाबंदी सम्वत् 2062 से 65 की फोटोप्रति, ग्राम जसनगर की जमाबंदी सम्वत 2065 से 68 की फोटोप्रति, ग्राम जसनगर की जमाबंदी सम्वत् 2027 से 30 की फोटोप्रति, ग्राम जसनगर की जमाबंदी सम्वत् 2051 से 54 की फोटोप्रति, ग्राम जसनगर का नामान्तरकरण संख्या 2414 की फोटोप्रति, कार्यालय तहसीलदार रियाबडी के पत्र दिनांक 17.09.24 की फोटोप्रति, नोटिस की फोटोप्रति तथा अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा नक्शा की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत जसनगर के अनापति प्रमाण पत्र की फोटोप्रति, मौका रिपोर्ट की फोटोप्रति, ग्राम जसनगर की जमांवदी सम्वत् 2011 से 14 की फोटोप्रति, ग्राम जसनगर की जमाबदी सम्वत् 2065 से 68 व सम्वत् 2073 से 76 की फोटोप्रति पेश की गई है।

3 उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया तथा तर्क दिया कि -

04/8/25

अपर कलक्टर, नागौर

3(1) प्रार्थीगण ग्राम जसनगर तहसील रियाबडी जिला नागौर के स्थायी निवासी है तथा काश्तकार है और पशुपालक है। मौजा जसनगर का सार्वजनिक गांवाई बेरा नामी गोमदिया बेरा जिसके साबिका खसरा नम्बर 797 हाल खसरा नम्बर 1723 मौजा जसनगर सरकारी खाते में गे.मु. बेरा दर्ज रहता चला आया है। यह बेरा गांव का सार्वजनिक मीठे पेयजल का एक मात्र स्त्रोत होने से वर्षो पूर्व से प्रार्थीगण व दीगर ग्रामवासियों द्वारा इस बेरे के पानी को पीने के लिए ले जाते रहे है व अपने पशु पक्षियों को पानी पिलाते रहे है व सार्वजनिक रूप से खेलिया भर कर अन्य पशुओं, पक्षियों, जानवरों के पीने के लिए उपयोग उपभोग में रहता चला आया है। इस प्रकार से उक्त सार्वजनिक गांवाई गे.मु. बेरे का उपयोग व उपभोग प्रार्थीगण व अन्य ग्रामवासियों द्वारा व पडौस गांवों के लोगो द्वारा बरसात की कमी व पानी की तंगाई होने से पेयजल के रूप में उपयोग में लिया जाता रहा है। इस प्रकार से हम प्रार्थीगण के व दीगर ग्रामवासियों के हित इस सार्वजनिक गांवाई गे. मु. बेरा से जुडे हुए है। उक्त बेरा मीठे पानी का एक मात्र स्त्रोत जलाशय है। यह सावर्जजनिक सरकारी गांवई बेरा है। ऐसे में प्रार्थीगण के हित सीधे रूप से प्रभावित होते है जिससे प्रार्थीगण प्रभावित व व्यथित व्यक्तियान है।

3(2) ग्राम जसनगर तहसील रियाबडी के साबिका (पुराना) खसरा नम्बर 797 रकबा 0.5 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 1723 रकबा 0.05 बिस्वा जिसका मिलान क्षेत्रफल संवत 2062 से 2081 में दर्ज है तथा यह खसरा शुरू से ही गे.मु. बेरा रहता चला आया है। खतौनी बंदोबस्त संवत 2008 से 2027 में गलत खसरा नम्बर 797 रकबा 6 बिस्वा सरकारी खाते में गे.मु. बेरा दर्ज है तथा खतौनी संवत 2027 से 2030 में सरकारी खाते में खसरा नम्बर 797 रकबा 6 बिस्वा गे0मु0 बेरा दर्ज है तथा खतौनी संवत 2051 से 2054 मे भी खसरा नम्बर 797 रकबा 6 बिस्वा गे0मु0 बेरा दर्ज है। उपरोक्त सार्वजनिक सरकारी बेरा गांव जसनगर की आबादी क्षेत्र में है इस बैरे की नाल के चिपता कोठा, खैली, सारण आदि बने है। पूर्व में पशुओं से बेरा चला कर पानी निकालने की व्यवस्था थी। जिसके लिए सारण थी जो बेरे का भाग है, इस बेरे को सदियों से गोमदिया बेरे के नाम से जाना जाता है, इस गांवाई सार्वजनिक गे.मु. बेरा पर गांव में बिजली की व्यवस्था हो जाने पर गाम पंचायत के नाम से बिजली का कनैक्शन भी लिया हुआ रहता चला आया है तथा बिजली से कुआ चला कर पानी को निकाल कर कोठा और खैलियों में भरते, ग्राम वासी ले जाते व पशुओं के पीने के लिए खैलियां भरते, ऐसी व्यवस्था रहती चली आई थी, जिस पर घरेलू पालतू जानवर व आवारा पशु पक्षी के पानी पीने की व्यवस्था शुरू से रहती चली आई है।

3(3) उक्त खसरा की किस्म गे.मु. बेरा है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के अन्तर्गत ऐसी भूमियों पर निजी व्यक्तियों को खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं किये जा सकते है तथा ऐसी भूमि राज. काश्तकारी कानून व राज. लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत नियमन/आवंटन/डिक्री/ऑर्डर से खातेदारी दिये जाने से प्रतिबंधित भूमि है तथा उक्त कानूनों के तहत वर्जित श्रेणी में आने के कारण नियमन/आवंटन/डिक्री/ऑर्डर से खातेदारी दिये जाने से प्रतिबंधित भूमि है तथा उक्त कानूनी के तहत वर्जित श्रेणी में आने के कारण नियमन/आवंटन योग्य नहीं थी और किस्म गे.मु. बेरा(कुआ) जिसकी गहराई करीब 100 से 200 फुट व 6 फुट व्यास/चौडाई में नाल होने से नियमन व आवंटन योग्य नहीं थी न आज दिन है तथा किसी व्यक्ति के गेर खातेदारी अथवा खातेदारी में अंकित/दर्ज नहीं की जा सकती है। मगर आंवटन समिति ग्राम सम्पर्क अभियान जसनगर दिनांक 04.01.2007 के निर्णय एवं उप तहसीलदार रियाबडी के आदेश क्रमांक शिविर/07/18 दिनांक 04.02.2007 की पालना में राजकीय खाता साबिका खसरा नम्बर 797 के रकबा में से 0.0400 हैक्टयर गे.मु. बेरा की गेर खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज करने का आदेश देने से म्यूटेशन नम्बर 2414 दिनांक 21.03.2007 को तहसीलदार रियाबडी ने तस्दीक किया, जिससे यह गांवाई सार्वजनिक बेरा की भूमि अप्रार्थी संख्या 1 रतनलाल की गैर खातेदारी में दर्ज हुआ। हाल खसरा नम्बर 1723 रकबा 0.0500 हैक्टयर को हैक्टेयर में दर्ज किया गया। इस खसरा नम्बर 1723 के रकबा 0.0500 हैक्टयर में से रकबा 0.0400 हैक्टयर अप्रार्थी संख्या 1 को आंवटन करके तथा जरिये म्यूटेशन नम्बर 1424 में बटा नम्बर हाल खसरा नम्बर 2865/1723 रकबा 0.0400 हैक्टयर दर्ज कर अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी दर्ज किया गया है। जिससे आदेश दिनांक 04.01.2007 का हर आदेश/निर्णय/नियमन/आवंटन म्यूटेशन संख्या 2414 दिनांक 21.03.2007 तथा जमाबंदी संवत 2062 से नियमों के विपरीत दर्ज किया गया है जो विधि सम्मत नहीं है तथा ऐसे तमाम इन्द्राज

04/8/25

उपखण्ड अधिकारी, नागौर

समस्त कार्यवाही विधि विरूद्व होकर शुरू से ही शून्य प्रभाव रखती है। राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर 5865/1723 सार्वजनिक रास्ते का है तथा उसके बाद इस खसरा नम्बर को संशोधित करने के लिए शुद्दि पत्र संख्या 1 दिनांक 15.05.2009 के द्वारा 5865/1723 के बजाय खसरा नम्बर 2865/1723 दर्ज किया गया, जिसकी गेर खातेदारी से खातेदारी दर्ज करते समय म्यूटेशन प्रविष्टि क्रमांक एवं दिनांक 83–दिनांक 30.04.2024 को गांव के अन्य खसरा नम्बर 2865/1763 रकबा 0.0400 हैक्टयर गे.मु. बेरा की गेर खातेदारी से खातेदार बनाते समय खातेदारी में खसरा नम्बर 2865/1723 गे.मु. बेरा दर्ज किया गया है। इस प्रकार से प्रतिबंधित भूमि गे.मु. बेरा के संबंध में उक्त प्रकार की कार्यवाही शुरू से ही शुन्य होने से नल एण्ड वॉयड कानून की नजर में रहती चली आई है। पूर्व में रामेश्वरलाल पुत्र नारायणराम कौम नाई निवासी जसनगर ने बेरा खसरा नम्बर 797 के रकबा 100 वर्गफुट पर संवत 2057 में अतिक्रमण कर लिया था। जिससे न्यायालय उप तहसीलदार रियाबडी में पटवारी हल्का की शिकायत पर मुकदमा नम्बर 99/2000 दर्ज किया गया, जिसका नोटिस दिनांक 13.08.2000 को उप तहसीलदार रियाबडी ने कार्यवाही कर अतिक्रमण किया, जिस पर ग्राम पंचायत जसनगर में शिकायत होने पर तत्कालीन सरपंच बाबुलाल माली ने प्रार्थना पत्र संख्या 21/2001 बाबत अतिक्रमण दर्ज कर नोटिस जारी किया, जिससे प्रतीत होता है कि उक्त बेरा सार्वजनिक सरकरी सम्पति रही है। इसलिए उक्त आवंटन समिति द्वारा स्थापित राजस्व विधियां व कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर अप्रार्थी संख्या 1 को अनुचित लाभ पहुचाने की नियत से उपरोक्त सार्वजनिक बेरा का आवंटन अप्रार्थी संख्या 1 को किया गया है और वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी में गलत रूप से दर्ज है जिसे निरस्त किया जाना न्याय संगत है।

3(4) उक्त खातेदारी के इन्द्राज को अप्रार्थी संख्या 1 ने आज दिन तक छुपाये रखा। वर्तमान में बरसात की सीजन का फायदा उठा कर सरपंच अप्रार्थी संख्या 1 का खास व्यक्ति होने से व तहसीलदार रियांबडी से सांठ गांठ कर उक्त विवादित बेरा को रातोरात लोडर, ट्रको से मिट्टी डाल कर भरवा दिया और बेरे की नाल को मय उसकी सारण को सपाट कर उस पर अवैध तरीके से दुकानें बनाने लगे, जिस पर ग्रामवासियों ने ऐतराज किया जिनमें प्रार्थीगण भी शामिल रहे और तहसीलदार वगैरा से शिकायत की मगर कोई सुनवाई नहीं की है जिससे ग्राम पंचायत व तहसीलदार अपने स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं करने के कारण प्रार्थीगण व ग्रामवासियों के हित कुआ पेयजल स्त्रोत होने से प्रभावित होते है जिससे यह प्रार्थना पत्र पेश करने का प्रार्थीगण को अधिकार होने से प्रस्तुत है।

3(5) उक्त प्रकार की विधि विरूद्व तरीके से हुए आवंटन/ऑर्डर के परिणामस्वरूप खोले गये म्यूटेशन व खातेदारी इन्द्राज विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है जिससे उक्त प्रकार के तमाम प्रकार के इन्द्राज/कार्यवाही माननीय राज. उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित जनहित याचिका संख्या 1536/2003 बअनवान अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में निर्णय पारित व्यवस्थाओं के विपरीत है ऐसी स्थिति में उक्त विधि विरूद्व खातेदारी इन्द्राज निरस्त किये जाने की आवश्यकता है व न्याय संगत है तथा विवादित खसरा गे.मु. बेरा दर्ज है और सरकारी खाते में गे.मु. बेरा पूर्व खसरा नम्बर पर दर्ज किये जाने के लिए प्रार्थना की जाती है।

3(6) राजस्व विधियों व नियमों के अनुसार कानून के तहत राजस्व रेकर्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्वबुध नहीं होते है। कुआ एक पेजयल स्त्रोत है जो जलाशय की श्रेणी में आता है जिससे प्रतिबंधित श्रेणी में माने जाने योग्य है इसलिए आंवटन समिति का हर आदेश आंवटन/हस्तान्तरकण अवैध व स्वयं में शून्य प्रभावी होने से निरस्त लायक है।

4- अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि–

4(1) खसरा नम्बर 797 जो राजस्व रेकर्ड में पहले गे.मु. बेरा जरूर दर्ज रहा था लेकिन उतरदातागण का पुश्तेनी खेत खसरा नम्बर 796 है उस खसरे के अन्दर ही खसरा नम्बर 797 गे.मु. बेरा था जो उतरदाता के बडेरो ने ही खुदवाया व उतरदातागण की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 796 में सिंचाई हेतु निजी कुआ खुदवाया गया था। प्रार्थीगण ने उक्त बेरे को सार्वजनिक गांवाई बेरा होने का मिथ्या कथन किया है व गांव का एक मात्र स्त्रोत जलाशय होने का मिथ्या कथन किया है। क्योंकि उस समय जसनगर में कम गहराई में मीठा पानी था इसलिए सभी खातेदार अपने खेतों में व खेतो के चिपती भूमि में छोटी छोटी कुईयां खुदवाई ताकि अपने खेतों में सिंचाई करके सब्जी व पशुओं के चारा इत्यादि की फसल ले सके। प्रार्थीगण स्वयं ने संवत 2008 की खैतोनी पेश की है जिसमें कम से

04/8/25

अपर कलक्टर, नागौर

कम 10 या 11 खसरे शामिल है जिसमें गे.मु. बेरा दर्ज है जिससे यह जाहिर है कि यह एक मात्र आम गांवाई बेरा नहीं था जबकि जो जो काश्तकार छोटी छोटी बेरीयां उस समय खोदी थी उनको गे.मु. बेरा दर्ज कर दिया था व समय समय पर खातेदारों ने उक्त बेरों के मालिको ने पुनः जमीन अपने नाम करवाने की कार्यवाही की, जिसके चलते खसरा नम्बर 870 भी गे.मु. बेरा दर्ज जिसको बेरा की किस्म खारिज करके सुखराज, चांदमल महाजन के नाम खातेदारी संवत 2008 में ही दी गयी थी। इतना ही नहीं आगे दिनांक 25.05.1975 को नामान्तरकरण संख्या 772 के जरिये खसरा नम्बर 827 गे.मु. बेरा की खातेदारी संवत 2008 में ही दी गयी थी। इतना ही नहीं आगे दिनांक 25.05.1975 को नमान्तरकरण संख्या 772 के जरिये खसरा नम्बर 824 गे.मु. बेरा की खातेदारी निरस्त करते हुए उक्त भूमि को पन्नालाल, ओमप्रकाश, शंकरलाल, सत्यनारायण ब्राह्मण के नाम खातेदारी दर्ज की गयी थी जो प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रेकर्ड खतौनियों से भी साबित है जिससे साफ जाहिर है कि उक्त बेरा काश्तकारों द्वारा सिंचाई के लिए निजी बेरा खुदवाया था लेकिन प्रार्थीगण ने दीगर सहखातेदारों के विरूद्व कोई कार्यवाही नहीं की और राजनेतिक अदावती के कारण उतरदातागण के खेत में बने निजी कुए को मिथ्या रूप से सार्वजनिक बेरा बता कर मिथ्या रेफरेंस पेश किया है क्योंकि उक्त राजस्व रेकर्ड नक्शा व मौका रिपोर्ट से भी साफ जाहिर होता है कि उक्त बेरा उतरदातागण के पुश्तेनी खेत खसरा नम्बर 796 में ही खुदा हुआ है।

4(2) गांव जसनगर तहसील रियाबडी के साबिका खसरा नम्बर 797 रकबा 0.5 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 1723 रकबा 0.05 बिस्वा जिसका मिलान क्षेत्रफल संवत 2062 से 2081 में रेकर्ड में जरूर दर्ज है मगर यह बेरा उतरदातागण का निजी व उनकी खोतदारी में सिंचाई हेतु खुदवाया गया था क्योंकि यदि उक्त बेरा सार्वजनिक होता तो उसकी किस्म 10–10 खसरों में शामिल नहीं होती व सार्वजनिक गांवाई बेरा में बडी बडी खेलिया व पानी के कोठे होते जिनकी चौडाई 100 गुणा 100 फुट होती तथा नालिया व खेलिया अलग निर्मित होती व पानी निकालने के लिए छड, लाव, बेलो द्वारा पानी निकालने के लिए अलग जगह होती, जिसका सम्पूर्ण रकबा करीब 3 बीघा से अधिक होता मगर इस खसरे का रकबा मात्र 6 बिस्वा है जिसमें सम्पूर्ण बेरा, लाव, जाव, किणी, होद, खेलिया होना कतई संभव नहीं है जिससे यह जाहिर है कि उक्त बेरा उतरदातागण के बडेरों का खुदवाया हुआ था, लेकिन अन्य खसरों के साथ उनकी किस्त गे.मु. बेरा दर्ज कर दी थी। खतौनी बंदोबस्त संवत 2008 से 2027 में गलत मगर यह उतरदातागण व उनके पूर्वजों का निजी सिंचाई का बेरा रहा था जिसमें मेरे के चिपता कोई नल, कोठा, सारण, खेली वगैरा कोई ठांव नहीं थे न है। मात्र उतरदातागण के पूर्वजों द्वारा छोटा पम्प लगाकर जनरेटर से अपने खेतों में सिंचाई करके सब्जी की पैदावार लेते थे। उक्त बेरा कभी सार्वजनिक नहीं था। आवंटन आदेश विधि सम्वत् था जिसको समयावधि में कभी किसी ने चुनौती नही दी थी व अब इस रेफरेंस के जरिये उसे निरस्त करवाने का कोई अधिकार नहीं है। म्यूटेशन व आंवटन की कार्यवाहियों को ऐसे रेफरेंस के जरिये चुनोती नही दी जा सकती है।

5- उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ग्राम जसनगर का उक्त विवादित बैरा सार्वजनिक हो, इसके सबंध में प्रार्थीगण ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड, नक्शे के अनुसार प्रतीत होता है कि यह बैरा अप्रार्थी के खेत के गत खसरा नम्बर 796 में बना हुआ है, लेकिन बैरा के गत खसरा नम्बर 797 अलग दर्ज हो रखे है, उक्त बैरा सार्वजनिक हो यह किसी रेकर्ड से साबित नही है। प्रार्थीगण ने आवंटन आदेश को चुनौती दी है जो रेफरेंस के जरिये गलत चुनौती दी है। प्रार्थीगण को समयावधि में आवंटन आदेश को विधिक प्रावधानों के अनुसार चुनौती दी जानी चाहिए थी। इसलिए रेफरेंस प्रार्थना पत्र विधि विरूद्व पेश किया जाना प्रतीत होता है। अतः रेफरेंस आवेदन विधि अनुसार चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

6 - उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत रेफरेंस प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

7- आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04/8/18

(चम्पालाल जीनगर)
RAS
अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर